(4) 34/2020

ORDER-SHEET

प्रकरण आज दिनांक 10.07.2021 को नेशनल लोक अदालत की खण्डपीठ कमांक 57 में पेश।

10.07.2021 प्रकरण नेशनल लोक अदालत में मेरे समक्ष पेश।
परिवादी सहित अधिवक्ता श्रीमती रजनी पंवार उप0।
आरोपी अनुपस्थित।

इसी प्रक्रम पर परिवादी द्वारा एक आवेदन अंतर्गत धारा 147 द.प्र.सं. प्रस्तुत कर प्रकरण में राजीनामा होने के आधार अपराध का शमन चाहा है।

आवेदन पर परिवादी पक्ष को सुना गया। परिवादी द्वारा प्रकरण में राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर राजीनामा के आधार पर प्रकरण समाप्त किये जाने की प्रार्थना की है। पूछे जाने पर परिवादी ने स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी भय,दवाव के अपराध का शमन चाहा है। परिवादी अपराध का शमन करने हेतु सक्षम पक्षकार है।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी पर धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आक्षेप है, जो कि उक्त अधिनियम के अनुसार न्यायालय की अनुमति के बिना शमनीय अपराध है। यद्यपि प्रकरण में प्राथमिक अवसर पर आरोपी की उपस्थिति के पश्चात दो पेशियों तक राजीनामा नहीं हुआ है, ऐसी दशा में पश्चातवर्ती प्रक्रम पर राजीनामा करने पर आरोपी पर न्याय दृष्टांत ***दामोदर एस0 प्रभू वि0 सैयद बाबालाल (2010) 5 एस0सी0सी0– 663*** में प्रतिपादित दिशा निर्देशानुसार प्रकरण की परिस्थिति अनुसार चेक राशि की 10 प्रतिशत तक की परिव्यय राशि न्यायालय के विवेकानुसार अधिरोपित की जा सकती है, तथापि लोक अदालत अंतर्गत राजीनामे के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्याय दृष्टांत ***एम0पी0 स्टेट लीगल सर्विस वि0 प्रतीक जैन एवं अन्य सिविल अपील नंबर–8614/14 निर्णय दिनांक 10.09.2014*** भी अवलोकनीय व अनुकरणीय है, जिसके अंतिम पूर्ववर्ती पद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि–Having regard thereto, we are of the opinion that even when a case is decided in Lok Adalat, the requirement of following the guidelines contained in Damodar S. Prabhu (supra) should normally not be dispensed with. However, *if there is a special/specific reason to deviate therefrom, the Court is not remediless as Damodar S. Prabhu (supra) itself has given discretion to the concerned Court to reduce the costs with regard to specific facts and circumstances of the case, while recording reasons in writing about such variance. Therefore, in those matters where the case has to be decided/settled in the Lok Adalat, if the Court finds that it is a result of positive attitude of the parties, in such appropriate cases, the Court can always reduce the costs by imposing minimal costs or even waive the same.* For that, it would be for the parties, particularly the accused person, to make out a plausible case for the waiver/reduction of costs and to convince the concerned Court about the same. This course of action, according to us, would strike a balance

between the **दामोदर एस0 प्रभू वि0 सैयद बाबालाल (2010)** two competing but equally important interests, namely, achieving the objectives delineated in Damodar S. Prabhu (supra) on the one hand and the public interest which is sought to be achieved by encouraging settlements/resolution of case through Lok Adalats.

यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण के अवलोकन से न्याय दृष्टिांत **दामोदर एस0 प्रभू (पूर्वोक्त) के निदेशों के आलोक में** परिव्यय राशि के संबंध में आरोपी को यथासमय अवगत कराया जाना भी प्रकट नहीं है। परिवादी से पूछे जाने पर उन्होंने लोक अदालत के महत्वपूर्ण उददेश्य को देखते हुये उनके मध्य अच्छे संबंध स्थापित रखने तथा आपसी वैमनस्यता को दूर करने के लिये तथा मामले के अविलंव निपटारे की सकारात्मक सोच रखते हुये मामले का निराकरण कराया जाना व्यक्त किया है, जो उभयपक्ष के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस प्रकार परिवादी द्वारा व्यक्त तथ्यों, प्रकरण की परिस्थितियों एवं लोक अदालत के माध्यम से प्राप्त किये जाने वाले लोकहित के महत्वपूर्ण उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त न्याय दृष्टांत एम0पी0 स्टेट लीगल सर्विस वि0 प्रदीप जैन एवं अन्य (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित सिद्वान्त के आलोक में न्याय दृष्टांत दामोदर एस0 प्रभू वि0 सैयद बाबालाल (पूर्वोक्त) के दिशा निर्देशानुसार आरोपी पर अधिरोपित की जाने वाली परिव्यय की राशि अदायगी से मुक्त किया जाना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता है। अतएव उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 147 एन0आई0 एक्ट स्वीकार कर धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अपराध का शमन करते हुये आरोपीगण को धारा 138 एन0आई0 एक्ट के अभियोग से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी / गण के उपस्थिति संबंधी बंधपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण का निराकरण लोक अदालत में होने के कारण परिवादी द्वारा प्रदत्त न्याय शुल्क विधि अनुसार वापस करने के संबंध में प्रमाण पत्र जारी हो।

प्रकरण परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार प्रेषित हो।

अधिवक्ता सदस्य

10/07/21

(न्यायिक सदस्य)

(श्रीमती अंकिता शाही)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
देपालपुर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
जे.एम.एफ.सी.